न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. मगनी देवी पत्नि बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीया

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र गंगाधर
2. छोटेलाल पुत्र गंगाधर
3. गुलजारी पुत्र जीत्याराम
4. श्रवण पुत्र जीत्याराम
5. राजू पुत्र भब्बू
6. भगवानसहाय पुत्र भब्बू
7. प्रेम पुत्र भब्बू
   समस्त जाति कोली निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।
8. आवंटन सलाहकार समिति तत्कालीन उपजिलाधिकारी दौसा।
9. तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 बाबत् भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 5 बीघा ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।)

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.05.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज गंगाधर द्वारा आवंटन कमेटी व पटवारी हल्का से साज करते हुये फ्राड व मिसरिप्रजेन्टेशन कर आवंटन से पूर्व भूमि आवंटन के सम्बन्ध में की जाने वाली उद्घोषणा जारी किये बिना ही आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये अप्रार्थीगण के कब्जे सम्बन्धी गलत रिपोर्ट बनाते हुये आवंटित भूमि आवंटन योग्य नहीं होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम अरनिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 पूर्वज गंगाधर पुत्र किशनलाल जाति कोली निवासी अरनिया तहसील बसवा के नाम दिनांक 10.11.1970 को कर दिया। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 को निरस्त करवाने हेतु आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाडी उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज गंगाधर द्वारा आवंटन कमेटी व पटवारी हल्का से साज व मिसरिप्रजेन्टेशन कर यह आवंटन करवाया गया है। यह आवंटन केवल कागजी तौर पर करवाया गया है। आवंटन से पूर्व व आवंटन के समय आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज गंगाधर का कोई कब्जा नहीं था, बल्कि इस भूमि पर प्रार्थीया मगनी देवी [illegible] कब्जा पिछले पचास वर्षो से चला आ रहा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

था एवं उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीया का ही इस भूमि पर कब्जा है और प्रार्थीया लगातार काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि को समतल बनाने एवं काश्त योग्य बनाने में प्रार्थीया के ससुर ने काफी खर्चा किया है एवं भूमि को काश्त कर उपजाऊ बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज आंवटी गंगाधर एवं उसके वारिसानों द्वारा आवंटित भूमि को काश्त नहीं किया जाकर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी के पास पूर्व में ही कृषि योग्य भूमि होने के कारण आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में भी नहीं आता है। आवंटन किये जाने से पूर्व उद्घोषणा किये बिना ही आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर है। आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन नहीं किया गया है। अतः आवंटन कमेटी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज गंगाधर पुत्र किशनलाल जाति कोली निवासी अरनिया तहसील बसवा के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा जवाब बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटी गंगाधर को आवंटित की गई भूमि के आवंटन के समय से ही आवंटी गंगाधर का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण आवंटन कमेटी के द्वारा खसरा नम्बर 958 में से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन के बाद भी उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त था तथा वर्तमान में भी आवंटी के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जिसकी खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत की गई है। आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 बाबत भूमि आवंटन खसरा संख्या 958 रकबा 5 बीघा ग्राम अरनिया तहसील बसवा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों एवं शर्तो की पालना करते हुये आवंटी गंगाधर को आवंटित की गई है। आवंटी गंगाधर भूमिहीन कृषक के रूप में आवंटन के लिये योग्य अभ्यर्थी था, इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमि आवंटी गंगाधर को आवंटित की गई है। भूमि आवंटन के समय आवंटी गंगाधर को आवंटन के समय पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा संभलाया गया है। आवंटी गंगाधर को आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 958 रकबा 5 बीघा के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 2304/3959 रकबा 1.27 है. बनाये गये है जिसके खातेदार गंगाधर पुत्र किशनलाल जाति कोली राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 आवंटन की गई भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन नियम 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा 14(4) की पत्रावली बहस में आने के बाद बीच में ही मौका कमिश्नर का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया जबकि मौका कमिश्नर मौके की स्थिति बतायेगा ना कि कब्जा साबित करेगा। प्रार्थीया मगनी देवी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को हैरान परेशान करने की गरज से एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की भूमि को द्वेषतापूर्ण हडपने की नियत से यह प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **RRT 2023(1) P-559 R.B.** महेन्द्र चतुर्वेदी बनाम सरकार, **RBJ 2021 P-747 R.B.** प्रभु बनाम हरदोई, **RRD 2018 P-479 H.C.** राज. सरकार बनाम शंकरलाल, **RRD 2017(2)P-972 R.B.** पन्नी बनाम राज.सरकार, **RRD 2008 P-125 R.B.** नंदाराम बनाम छाजूराम, **RRD 2006 P-135 R.B.** रामखिलाडी बनाम दौलतराम, **RBJ(8)2001 P-125 R.B.** शंकरलाल बनाम राज.सरकार प्रस्तुत किये गये।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल आवंटन पत्रावली में अंकितानुसार प्रार्थी गंगाधर आंवटन कमेटी के समक्ष उपस्थित हुये एवं रिपोर्ट पटवारी आईएलआर से प्रार्थी भूमिहीन होना पाया जाता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 958 ग्राम अरनिया से 5 बीघा भूमि दिनांक 10.11.1970 को आवं[illegible]हैयालाल सरपंच अरनिया के हस्ताक्षर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रति. जिला कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई विधिवत उद्घोषणा जारी किया जाना एवं भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अलॉटमेन्ट कमेटी की सिफारिश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे उक्त भूमि आवंटन विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 निरस्त किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1970 बहक गंगाधर पुत्र किशनलाल जाति कोली निवासी अरनिया तहसील बसवा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ मूल आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested